न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 37/2019 दायरा दिनांक 21.08.2019

GCMS CASE NO- 2019/00034

पुष्पा देवी पत्नी श्री पवनकुमार जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 18 तहसील सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर

(अपीलांट)

बनाम

1. नौरंगलाल पुत्र बीरबल जाति ब्राहम्ण निवासी लुढाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ तथाकथित निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़
2. उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़

(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–06.11.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ के प्रकरण संख्या 02/2019 अनवान सरकार बनाम नौरंगलाल में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, राजियासर स्टेशन ने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि रोही हिन्दौर के खसरा नं. 212/39 में 5.060 है0 का कब्जा रेस्पोडेंट सं. 1 का बताते हुए नाजायज काश्त की कार्यवाही की गई है जबकि रेस्पोडेंट सं. 1 का उक्त भूमि में कतई कब्जा नहीं है। ख.नं. 212/39 का 5.060 है0 रकबा खातेदारी नहीं है, विवादित है व उक्त रकबा अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, राजियासर स्टेशन का निर्णय दिनांक 05.07.2019 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट सं. 1 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये थे जो 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने के बाद भी आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचित किये जैर अपील आदेश पारित किया गया, जिसकी अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलांट दिनांक 05.08.2019 को हल्का पटवारी के पास उक्त भूमि की खसरा गिरादावरियों की नकल लेने के लिए गया तो हल्का पटवारी ने सर्वप्रथम उस दिन बताया कि उक्त भूमि पर तो रेस्पो. 1 के विरूद्ध नाजायज काश्त की कार्यवाही जैरकार है। अपीलांट द्वारा उसी दिन आवेदन किया व दिनांक 07.08.2019 को नकल प्राप्त होते ही [illegible] से अन्दर मियाद यह अपील पेश कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से अ[illegible]। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया [illegible] की जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है [illegible] उचित व संतोषजनक प्रती[illegible] है। जिसका ना तो रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने कोई [illegible] जवाब पेश किया तथा ना ही [illegible] बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

भी कोई मौखिक आपत्ति जाहिर नही की गई। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, राजियासर स्टेशन ने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि रोही हिन्दौर के खसरा नं. 212/39 में 5.060 है0 का कब्जा रेस्पोडेंट सं. 1 का बताते हुए नाजायज काश्त की कार्यवाही की गई है जबकि रेस्पोडेंट सं.

1 का उक्त भूमि में कतई कब्जा नहीं है। जैर अपील आदेश का रकबा रोही हिन्दौर का ख.सं. 212/39 का 5.060 है0 39/5 का 1.265 है0 व ख.नं. 39/6 का 1.012 है0 कुल 7.337 है0 रकबा बारानी रकबा की नाजायज काश्त की गिरदावरी तत्कालीन कार्यवाहक हल्का पटवारी राजियासर स्टेशन द्वारा पी–14 की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट उपतहसीलदार राजियासर स्टेशन को प्रस्तुत की। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01.02.2019 को नाजायज काश्त की पत्रावली नं. 02/2019 कायम कर अप्रार्थी नौरंगलाल/रेस्पोडेंट सं. 1 को तलब करने पर दिनांक 25.02.19 को मेजरसिंह द्वारा रेस्पो. सं. 1 नौरंगलाल की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का यशपाल शर्मा को तलब कर बयान लिये जाकर दिनांक 05.07.2019 को पत्रावली में जैर अपील आदेश पारित कर दिया गया। जैर अपील आदेश से पूर्व ही हल्का पटवारी यशपाल शर्मा की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ गया था कि रोही हिन्दौर के ख.सं. 212/39 का 5.060 है0 रकबा पर पुष्पादेवी सोनी/अपीलांट का कब्जा काश्त है व इसी रकबा में से पुष्पादेवी द्वारा 0.091 हे0 रकबा कृषि योग्य भूमि से औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन करवा लिया गया है। फिर भी आदलत मातहत ने अपीलांट को तलब न करके जैर अपील आदेश पारित किया गया जिससे अपीलांट के हितों पर भारी चोट पहुंची है व अपूरणीय क्षति कारित हुई है। जैर अपील रकबा पहले ख.नं. 39/5 था, जो अब 212/39 का 5.060 है0 रकबा है यह पहले 1952 में नूर मोहम्मद उर्फ नूरां पुत्र कमरदीन को मौका पर कब्जा दे दिया व उसकी मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसों के नाम आरजी काश्त दर्ज कर दिया गया व मौका पर उसी स्थान पर कब्जा काश्त चलता रहा। संवत 2038 तक ख.नं. 39/5 रहा, परन्तु उसके बाद राजस्व रिकार्ड में रकबा बिना किसी आदेश के ख.नं. 39/1 में नूरां के जायज वारिसों के नाम 5.060 है0 दर्ज कर दिया गया, परन्तु कब्जा काश्त 39/5 पर ही लगातार चला रहा। नूरां के वारिसों को ख.नं. 39/1 के 5.060 है0 रकबा की खातेदारी मिल गयी व यह रकबा दिनांक 29.08.2006 को बैय कर दिया व खरीद का इंतकाल दर्ज हो गया, बाद में अपीलांट को पटवारी हल्का के माध्यम से पता चला कि अपीलांट को जो रकबा बेचा गया वह मोका पर ख.नं. 39/5 है व इस पर राज्य सरकार के आदेश व श्रीमान संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी के आदेश से ख.नं. दुरूस्ती के आदेश कर दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा ख.नं. 39 के स्थान पर ख.नं. 39/5 का इंतकाल 98 दिनांक 07.02.2007 दर्ज कर दिया गया। इस इंतकाल की अपील रेस्पो. सं. 1 नौरंगलाल द्वारा करने पर इसी अदालत द्वारा दिनांक 07.07.2017 को अपील स्वीकार करते हुए इंतकाल सं. 98 निरस्त कर दिया, जिसकी निगरानी अब माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चल रही है। अत उक्त खसरा अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजियासर स्टेशन का निर्णय दिनांक 05.07.2019 खारिज किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 नियमानुसार एवं सही पारित किया गया है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि रोही हिन्दौर ख.सं. 212/39 पुष्पा देवी पत्नी पवन कुमार सोनी के नाम से खातेदार दर्ज है। उक्त ख.सं. 212/39 में 5.060 है0 रकबा में 4.969 है0 बारानी व 0.091 है0 औद्योगिक दर्ज है। फिर भी आदलत मातहत ने अपीलांट को तलब न करके जैर अपील आदेश पारित किया गया। जिस पर राज्य सरकार के आदेश व श्रीमान संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी के आदेश से ख.नं. दुरूस्ती के आदेश कर दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा ख.नं. 39 के स्थान पर ख.नं. 39/5 का इंतकाल 98 दिनांक 07.02.2007 दर्ज कर दिया गया जिसकी अपील रेस्पो. सं. 1 नौरंगलाल द्वारा करने पर इसी अदालत द्वारा दिनांक 07.07.2017 को अपील स्वीकार करते हुए इंतकाल सं. 98 निरस्त कर दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

एवं इस आदेश की अपील अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त बीकानेर के करने पर दिनांक 30.10.18 को खारिज कर गई,जिसकी निगरानी अब माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में जैरकार है। उक्त रकबा के संबंध में उच्च न्यायलयों में अपील जैरकार होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजंअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश दिनांक 05.07.2019 पारित किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पीड़ित पक्षकारों को सुनते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन का निर्णय दिनांक 05.07.2019 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को दुबारा सुनते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner